"Gangmul" Reg. No. 35 KH Dated 30.01.1984
SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD.,
HANUMANGARH JN- 335 512 (Raj)
ISO 22000:2018 Certified Organisation

क्रमांकः गंगमूल/पीएण्डए/2024/1253-67 दिनांकः 11.03.2024

ई–निविदा संशोधन सूचना

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., हनुमानगढ जं द्वारा दैनिक दर पर एक वर्ष के लिए अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल श्रमिक उपलब्ध करवाए जाने हेतू जारी ई–निविदा क्रमांक 11895–900 दिनांक 20.02.2024 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

1. इस निविदा के क्रम में डी.डी. जमा करवायें जाने की समय अवधि दिनांक 15.03.2024 को 02.00 पी.एम. तक एवं निविदा ई–प्रोक्युरमैंट प्रोर्टल पर अपलोड/जमा करवायें जाने की समय अवधि दिनांक 15.03.2024 को 05.00 पी.एम तक बढाई जाती है। निविदा का प्रथम भाग दिनांक 16.03.2024 को 11.00 ए.एम. पर खोला जायेगा।

2. पेज नं 11 पर निविदा शर्त संख्या 2 संशोधन उपरान्त इस प्रकार हैः–

"निविदादाता द्वारा सर्विस चार्ज/मेहनताना प्रतिशत में देना होगा । जीएसटी, नियोक्ता भविष्य निधी अंशदान, ईएसआई अंशदान पर सर्विस चार्ज/मेहनताना देय नहीं होगा तथा 2 प्रतिशत से कम सर्विस चार्ज/मेहनताना प्रस्तुत करने वाले निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी । निविदा में यदि एक से अधिक निविदादाताओं की दर समान प्राप्त होती है तो उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष पर्ची द्वारा लॉटरी निकालकर निविदादाता का चयन किया जावेगा। जो सभी निविदादाताओं को मान्य होगा।"

3. पेज नं 12 पर कार्य की निविदा भरने हेतु सामान्य निर्देश संख्या 15 के बाद निम्नलिखित शर्त को शामिल किया जाता हैः–

" 16.संघ में वर्तमान में सुरक्षा व्यवस्था एवं जॉब वर्क में अनुबन्धित फर्म/पार्टी इस निविदा हेतु अयोग्य मानें जावेगें।"

4. पेज नं 14 पर निविदा शर्त संख्या 9 संशोधन उपरान्त इस प्रकार हैः–

"श्रमिकों की सभी वैधानिक सुविधाओं की व्यवस्था की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। श्रमिकों को नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश दिया जाना अनिवार्य है। ठेकेदार द्वारा विशेष परिस्थिति में यदि किसी श्रमिक को अतिरिक्त समय/साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य पर बुलाया जाता है तो उसका सिंगल ऑवरटाइम के अनुसार मजुदरी का भुगतान किया जायेगा। जिस पर पीएफ की राशि देय नहीं होगी। श्रम विधि नियम, उपनियम व अधिसूचनायें आदि में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व ठेकेदार का होगा। श्रम विधि नियम, उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए ठेकेदार स्वयं उतरदायी होगा।"

GANGMUL". Industrial Area, Hanumangarh Jn – 335 512
Phone No.01552- 260522. Telefax: 262847 E-mail: gngmu-rj@nic.in

5. पेज नं 14 पर निविदा शर्त संख्या 15 संशोधन उपरान्त इस प्रकार है:–

" ठेकेदार द्वारा श्रमिको की मजदूरी का बिल प्रस्तुत करते समय पीएफ एव ईएसआई के चालान भरकर प्रस्तुत करने होंगे। ठेकेदार के बिल से श्रमिको के पीएफ अशंदान की राशि 12 प्रतिशत जो कि अधिकतम मजदूरी 15000 तक एवं ईएसआई अशंदान की 0.75 प्रतिशत राशि अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमानुसार कटौती कर पीएफ/ईएसआई के चालान की राशि ठेकेदार के पीएफ/ईएसआई खातें में संघ द्वारा जमा करवायी जावेगी तथा शेष मजदूरी का पूर्णभरण ठेकेदार को किया जावेगा। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात श्रमिकों की भविष्य निधि की राशि की निकासी अथवा श्रमिको द्वारा अन्य भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरण करवाने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । ठेकेदार अपने नियोजन में कार्यरत समस्त ठेका श्रमिको को ई0एस0आई0 कार्ड उपलब्ध करवायेगा तथा ईएसआई कार्ड के अभाव में किसी भी ठेका श्रमिक के मेडिकल चिकित्सा/दुर्घटना के लिए वह स्वयं व्यक्तिगत जिम्मेदार होगा।"

निविदा की शेष शर्तें व नियम यथावत रहेंगे।

(उग्रसेन सहारण)
प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपिः–
1.प्रबन्धक प्रणाली, आरसीडीएफ लि., जयपुर।
2.प्रभारी संयत्र/पीएंडआई/लेखा/गुण नियंत्रण।
3.प्रभारी एमआईएस को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को संघ की वेबसाइट एवं http://eproc.rajasthan.gov.in ई–प्रोक्युरमैंट पर अपलोड करावें।
4.अतिरिक्त निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक महोदय।
5.नोटिस बोर्ड
6.रक्षित पत्रावली/कार्यालय पत्रावली।

प्रबन्ध संचालक